जिसमें यह मांग की गई थी कि हिन्दू धर्म के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भांति आरक्षण की सुविधाए दी जायें ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : : (क) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार 17 अगस्त, 1990 को दिल्ली के वोट कल्ब, पर एक रैली आयोजित की गई थी ।

(ख) ईसाई धर्म अपना लेने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों को उपलब्ध लाभ देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) सरकार इस मामले पर बिचार कर रही है ।

Facilities to Industries in Anand Parbat Area of Delhi

2734. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to reply to Unstarred Question 251 . given in the Rajya Sabha on the 4th May, 1990 and state:

(a) the reasons for which the con cerned Deputy Director (Industrial) of DDA informed vide letter No. P 2B (701)76/LSB(I) T. P. dated the 26th October, 1987 to M/s New Guru Nanak Industries of Anand Prabat, Delhi that in the second Master Plan, the Area of Anand Parbat }s marked as confor ming area and on what basis the Municipal/Delhi Administration Authorities have continuously been providing Electric Power Connections' Licenses to a number of Industries which have been functioning at Anand Parbat; and

(b) if so, the action being contemplated in the matter?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Delhi Development Authority had issued the letter dated 26-10-87 because the Anand Parbat area was proposed as conforming area in the Master Plan of Delhi Perspective 2001, which had already been submitted by the DDA to the Government for approval. However, since the Government had not approved the Master Plan till May, 19901 it had rightly been stated in reply to Unstarred Question No. 251 dated the 4th May, 1990 that no decision to declare this area as conforming • had been taken. The Master Plan for Delhi—Perspective 2001 has since been approved and duly notified (1-8-90). Decision of the MCD/Delhi Administration to give power connections/licenses was pragmatic and need-hased.

अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार

2735. **डा. अरार अहमद खान** : क्या कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार का कोई कार्यक्रम है; क्या उन्हें देश में या किसी राज्य में किसी प्रकार के काम में वरीयता दी जाती है; यदि हां, तो उस काम और स्थान का नाम क्या है; क्या किन्हीं व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर काम दिया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों को रोजगार देने संबंधी में कोई घोषणा की है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को चयन समितियों में नियुक्त किया

जाएगा; यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ; यदि नहीं, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को अपना काम-धंधा शुरु करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ चयन समितियों को अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व से पूर्ण बनाकर भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी परिकल्पना की गई है । तथापि, अनन्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने अथवा अग्रता आधार पर उन्हें नौकरी देने का कोई कार्यक्रम नहीं है । भर्ती के लिए पंजीकरण के साथ-साथ नामिकाएं भेजने के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न करने को सुनिश्चित करने के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं । इन अनुदेशों की निगरानी के लिए राज्यों में अल्पसंख्यक कक्ष स्थापित किए गए हैं । और अधिक अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं का दौरा करने के लिए कुछ राज्यों में सचल रोजगार केन्द्र एकक भी हैं । वर्तमान सरकार ने भर्ती हेतु चयन समितियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य बना दिया है । इस संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं । चयन समितियों बोर्डों/आयोगों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व की निगरानी के लिए केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।

(ग) अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बैंकों की नई शाखाएं खोली जानी हैं ताकि अल्पसंख्यक ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकें । अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण भी अपनाया गया है । तथापि, इस समय अपना स्वंय का व्यवसाय शुरु करने के लिए अल्पसंख्यक बेरोगार युवाओं को अग्रता आधार पर ऋण देने की कोई योजना नहीं है, अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास में सहायता के लिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम/बोर्ड हैं । वर्तमान सरकार ने एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम स्थापित करने तथा अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए अल्पसंख्यक वित्त विकास निगमों/बोर्डों को सहायता देने का निर्णय सिद्धांत रुप में ले लिया है ।

देश में बाल श्रमिक

2736. डा. अरार अहमद खान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है, सरकार उनके कल्याण के लिए क्या कदम उठा रही है; दिल्ली और राजस्थान के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ बंधुआ बाल श्रमिक भी हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी कितनी है और सरकार उन्हें मुक्त कराने या उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल-शोषण के विरुद्ध कितने छापे मारे गए तथा कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) उपलब्ध नवीनतम जनगणना आकडे वर्ष 1981 के संदर्भ में हैं तथा इनके अनुसार देश में